उत्तर रेलवे

230–विद्युत लोको परिचालन/दिल्ली/तकनीकी–24/2022
दिनांक :– 13/02/2023

मण्डल कार्यालय
नई दिल्ली

तकनीकी सर्कुलर–DLI/RSO-15/2022

विषय :– व्हील स्किड से बचाव के सम्बन्ध में।

वर्तमान में गाड़ी परिचालन करते समय लोको में व्हील स्किड की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अतः व्हील स्किड की घटनाओं को रोकने हेतु लोको पायलटों की ड्राइविंग तकनीक में सुधार हेतु निम्न मदों पर काउन्सलिंग करें।

A:- लाईट इंजन मूवमेन्ट (अकेला एवं डेड इंजन के साथ) के समय बरती जाने वाली सावधानी :–

- लाईट इंजन मूवमेन्ट के समय निम्न सावधानियाँ बरते :–

1. गाड़ी चलाने से पहले पिछले डेड लोको में लोको ब्रेक लगना व रिलीज होना सुनिश्चित अवश्य करें।
2. लोको जोडने के बाद बी.पी. पाईप जोडकर, बी.पी. एंगल कॉक अवश्य खोलें।
3. लाईट इंजन में कार्य करते हुऐ ब्रेक फील टेस्ट अवश्य करें, प्राप्त ब्रेक पावर के अनुसार अपने विवेक से निम्न तालिका (मद–7) के अनुसार गति सीमा को ध्यान में रखते हुऐ कार्य करें।
4. 500 मीटर चलने के बाद लोको खड़ा करके पीछे डेड लगे लोको के ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें।
5. ब्रेकिंग से पहले ट्रैक्शन को बन्द करे ले, सामान्यतः A-9 से ही ब्रेक लगाये। यथासम्भव DBR/RG ब्रेक का अधिकतम प्रयोग करें।
6. ध्यान रखें कि गाड़ी के साथ कार्य करने के अनुपात में डेड अटैच इंजन के साथ ब्रेकिंग डिस्टेन्स अधिक हो जाता है, इसलिये उचित दूरी पर ब्रेकिंग करें।
7. फुल सर्विस ब्रेक/इमरजेन्सी ब्रेक/SA-9 का प्रयोग केवल आपात स्थिति में करें। कार्यरत इंजन में इस प्रकार ब्रेकिंग करे कि अगर पीछे डेड इंजन लगा है तो वह कार्यरत इंजन को रूकते समय धक्का ना लगाये।
8. गति का विशेष ध्यान रखें व निम्न तालिका के अनुसार इंजन का परिचालन करें :–

Formation	Section	Speed Limit in Delhi Area GZB DLI/NDLS-GZB	Speed Limit for all Other sections of DLI, UMB, LKO and FZR Division
1. Single light engine.	Level	60 kmph	Max permissible Sectional speed.
2. One working and one dead loco.	Level	60 kmph	75 kmph
3. One working and two dead locos.	level	40 kmph	60 kmph
4. One working and three dead locos.	Not permitted	-	-

B:- गाड़ी कार्य करते समय निम्न सावधानियाँ बरतेः व्हील स्किड से बचाव हेतु चालकगण निम्न कार्यवाही करें :–

1. डिस्ट्रीब्यूटर (C&W) वाल्व के P & G कॉक की स्थिति कन्वैंशनल लोको में पीछे जुडी गाड़ी के अनुसार अर्थात मालगाड़ी में CR की तरफ तथा सवारी गाड़ी में वाल्व की तरफ रखें तथा 3 फेज AC लोको में मालगाड़ी में नीचे की ओर तथा सवारी गाड़ी में ऊपर की ओर होना चाहिए तथा लॉग बुक में अंकित भी करें।
2. पहले ब्लॉक सेक्शन में, ब्रेक फील टेस्ट करे व उपलब्ध ब्रेक पावर के अनुसार गाड़ी की गति रखें। यदि ब्रेक पावर कमजोर मिले तो गाड़ी रोकने हेतु (पर्याप्त दूरी) पहले से ब्रेक लगाये।
3. गाड़ी कार्य के दौरान ब्रेक लगाते समय पैडल स्विच (PVEF) सदैव दबा कर रखें।

4. गाड़ी नियन्त्रित करने/रोकने के लिए SA-9का प्रयोग ना करें क्योकिSA-9 से केवल लोको ब्रेक कार्य करते है ऐसे में इंजन पहले रूक जाऐगा व गाड़ी पीछे से धक्का देगी जिससे इंजन के व्हील स्किड से जायेंगे।
5. कभी भी A-9/SA-9की सैटिंग को ना छेड़े।
6. लाईन पर कार्यरत इंजन के विफल हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से इंजन को डैड किये जाने पर विफल/डैड किये इंजन की चाबी प्रणाली को विधि अनुसार आइसोलेट (डैड मोड) में करे। J-1/J-2को न्यूट्रल पोजीशन पर रख कर लॉक चाबी से लॉक करें व सुनिश्चित करे कि इंजन में ब्रेक वाइन्डिग नही होगी व ब्रेक प्रणाली पूरी तरह से रिजीज है।
7. डैड इंजन की लाल मार्कर लाईट को जला दें तथा डैड मोड का ब्यौरा लॉग बुक में साफ–साफ लिखें।
8. रैक प्लेस करते समय 4–6 कोच की ब्रेक प्रणाली को वर्किंग में रखें।
9. प्रथम ब्लॉक सैक्शन में इंजन के व्हील स्किड की जांच करें व चार्ज देते समय लॉग बुक में व्हील स्किड की स्थिति साफ–साफ अवश्य लिखें।
   - ➢ व्हील स्किड रोकने हेतु लोको की क्षमता के अनुसार ही लोड पर कार्य हेतु लगायें।
   - ➢ कोई भी लोको अनुमेय सीमा से अधिक का व्हील स्किड होने पर गाड़ी चलाने हेतु अलाऊड नही किया जाये।

13/12/23

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1- मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली– सूचनार्थ।
2- मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली– सूचनार्थ।
3- सहायक मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली– सूचनार्थ।
4- मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे– सूचनार्थ।
5- समस्त मुख्य लोको निरीक्षक–गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकुरबस्ती एवं तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
6- सभी लॉबी नोटिस बोर्ड–सूचनार्थ।
7- विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/गाजियाबाद/उ0रे0–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
8- बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद/उ0रे0–आवश्यक कार्यवाही हेतू।